पत्रांक - 2109/[illegible]/16
दिनांक - 26-11-2016

सेवा में,

समस्त,
प्रबंधक / प्राचार्य,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

शासनादेश संख्या– 710 / सत्तर–2–2014–16 / (165) / 2012 टीसी दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय सारणी निर्धारित की जाती है।

क्र. सं.	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारित करने की समय–सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	अन्तिम चक्र
	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 30 जून तक। (1) 30 जून तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हतायं पूर्ण करते है, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ आवेदन कर सकते है किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0 सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रतिबद्धता / आश्वासन नही माना जायेगा ।	दिनांक 31 दिसम्बर तक। (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होगे। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 [illegible] (1) खतौनी [illegible] लाइन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन विन्दुओं का होगा जो शासनादेश के अनुरूप हो अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियॉ लगाई जा रही है।	[illegible] प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश निर्गत किया जाना	दिनांक 31 अगस्त तक।	दिनांक 28 / 29 फरवरी तक
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 सितम्बर तक। (1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 सितम्बर तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका	दिनांक 20 मार्च तक। (1) अनापत्ति आदेश [illegible] के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) प्रथम चक्र में [illegible] प्रकिया / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

		दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा । (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार–बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग–अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जाये तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अक्टूबर तक। (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो । शासनादेश में जिन विन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा । (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	दिनांक 15 अप्रैल तक। (2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रकिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 नवम्बर तक।	दिनांक 30 मई तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 दिसम्बर तक।	दिनांक 15 जून तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जनवरी तक।	दिनांक 15 जूलाई तक।

उक्त समय सारिणी एवं निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/11/18

कुलसचिव